छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक– 27 सितम्बर, 2013

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/460 :: वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासन में दक्षता व दायित्व बोध में सुधार हेतु की गई सरकार से सरकार (जी 2 जी) की पहल है। सभी शासकीय विभाग इसमें हिस्सेदार हैं।

राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 2 सितम्बर, 1995 के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऐसे सार्वजनिक एवं निजी संस्थान की सहायता करने में समर्थ होंगे, जो राष्ट्रीय महत्व की प्रेरक गतिविधियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के उपयोगकर्ता/हितग्राही हों या उसमें लगे हुए उपकरण/सुविधायें हों, जैसे:

- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ, शासकीय निकाय, स्वायत्तशासी व सहकारी समितियाँ, अर्द्धशासकीय संस्थाएं।
- केन्द्रीय योजनाएं, केन्द्र पोषित योजनाएं, राज्य की योजनाएं एवं सहायता प्राप्त योजनाएं।
- अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाएं, वाचनालय।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण।
- न्यायालय, लोक अदालत, विधिक सूचना तंत्र।
- विकेन्द्रित योजनाएं व पंचायती राज संस्थाएँ।
- ग्रामीण विकास परियोजना, समर्थक परियोजना एवं स्वैच्छिक संगठन संस्थान।
- संसद, सांसद, विधानसभाएं, विधानसभा सदस्य।
- महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम।
- निर्यातक, निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात समर्थन संगठन।

- लोक सेवा परीक्षाएं।
- जल प्रबंधन एवं सिंचाई सूचना तंत्र।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिये दीर्घकालिक विकास परियोजनाएं एवं कार्यक्रम।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर तबके का कल्याण।
- पिछड़े क्षेत्र का विकास।
- इस्पात, कोयला, ऊर्जा, सीमेंट एवं परिवहन क्षेत्र।
- शासकीय डाटाबेस का विपणन।
- पर्यटन उद्योग।

छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विकास कार्यक्रमों एवं नीति पहल का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (सी जी स्वान) एवं एन आई सी नेटवर्क (एन आई सी नेट) के द्वारा उपलब्ध की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के प्रयोग हेतु एवं उस समय प्रशासन में बेहतर सामंजस्य, जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने हेतु उपरोक्त सभी विभागों, कार्यालयों को सशक्त करता है ।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में, सरकार के ऐसे सभी विभाग/कार्यालय इन वेबसाईटः http://vidconf.nic.in या http://cgswan.gov.in पर संबंधित जानकारी एवं विवरण हेतु पहुंच सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अमन कुमार सिंह
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

क्रमांक–एफ 1–2/56/2013/सू.प्रौ.जै.प्रौ/ 461 रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि–

1 महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

3 महापंजीयक, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4 माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सचिव की ओर सूचनार्थ।

5 माननीय मंत्री/राज्य मंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

6 उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़

7 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

8 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव

9 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

11 अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

12 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

13 विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त)

14 संभागीय आयुक्त (समस्त), छत्तीसगढ़

15 संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़

16 कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)

17 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं राज्य, चिप्स एवं चॉइस की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

18 राज्य सूचनाविज्ञान अधिकारी, राज्य सूचनाविज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्र सिंह
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी